[1992]4 उम० नि० प० 743

रवि रमन प्रसाद और एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2 फरवरी, 1993

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, न्या० के० रामस्वामी और एन० वेंकटाचल

दण्ड प्रक्रिया संहिता–धारा **482, 145** और **144**–न्यायालय की आदेशिका का दुरुपयोग–मकान का कब्जा–किराएदार का हक–विक्रय संबंधी करार का अभिकथन–किराएदार कब्जे का या कब्जा पुन: प्राप्त करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक वह उस पर अपना हक साबित नहीं कर देता और अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त नहीं कर लेता। भाटक नियंत्रण और बेदखली–परिसर का कब्जा पुन: प्राप्त करना–अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने पर ही किराएदार कब्जा प्राप्त कर सकता है–विक्रय करार साबित करना अनिवार्य है।

विवाद एक आवासिक गृह को लेकर है जो कि अपीलार्थियों का है और प्रत्यर्थी सं० 4 का उसमें किराएदार के रूप में कब्जा था। अपीलार्थियों ने बेदखली संबंधी वाद फाइल किया और डिक्री होने पर अपीलार्थियों को उस गृह पर कब्जा पुलिस बल की सहयता से सौंप दिया गया। प्रत्यर्थी सं० 4 का पक्षकथन यह है कि इस गृह के विक्रय का एक करार हुआ था जिसके द्वारा उसका विक्रय उसको किया जाना था। प्रत्यर्थी ने मुंसिफ न्यायालय में हक संबंधी एक वाद फाइल किया जो अभी लंबित है। पुलिस बल द्वारा बेकब्जा किए जाने के पश्चात् भी इस मामले का निपटारा न हो सका और अपीलार्थियों के अनुसार उस गृह का कब्जा लेने के लिए प्रत्यर्थी सं० 4 ने 15-9-1991 को गोली चलाई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षकारों पर उस गृह में प्रवेश करने की रोक लगा दी किन्तु बाद में अपीलार्थियों को उसका कब्जा दे दिया गया। इसके तीन मास पश्चात् प्रत्यर्थी ने धारा 145 के अधीन कार्यवाही संस्थित करने का आवेदन किया। उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया और डिक्री का निष्पादन चुनौती के अभाव में निश्चायक बना दिया गया। प्रत्यर्थी ने तब उच्च न्यायालय में उसी अनुतोष के लिए धारा 482 के अधीन आवेदन किया जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष किया था उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया कि उक्त गृह तब तक पुलिस स्टेशन के भारसाधक के कब्जे में रहेगा जब तक कि हक संबंधी वाद का निपटारा नहीं हो जाता। उच्च न्यायालय के अनुसार जब धारा 144 के अधीन कार्यवाही संस्थित किए जाने पर दोनों पक्षकारों पर उस गृह में प्रवेश करने की रोक लगा दी थी तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने उस संपत्ति का कब्जा अपीलार्थियों को देकर ठीक नहीं किया। उच्च न्यायालय ने तथ्यों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित–उच्च न्यायालय उस निर्णायक तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा था कि अपीलार्थियों को उस संपत्ति का कब्जा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही की समाप्ति पर नहीं दिया गया था बल्कि उन्होंने उस संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से बेदखली डिक्री के निष्पादन में पहले ही अभिप्राप्त कर लिया था और उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही का निपटारा करते समय और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही को नए सिरे से आरंभ करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 4 के आवेदन को खारिज करते समय यथापूर्व स्थिति को बहाल रखा था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर अपीलार्थियों को, जिन्हें कि उस संपत्ति पर अस्थायी अवधि के लिए प्रवेश करने से रोक दिया गया था, उस संपत्ति का कब्जा बहाल करके ठीक ही कदम उठाया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन किया गया आवेदन न्यायालय की कार्यवाही का घोर दुरुपयोग था जिसका कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर अपीलार्थियों के पास उस गृह का कब्जा बना हुआ है और यह कब्जा उनके पास तब तक बना रहेगा जब तक प्रत्यर्थी सं० 4 लंबित वाद में अपने पक्ष में डिक्री अभिप्राप्त नहीं कर लेता और विधि के अनुसार अपीलार्थियों को बेकब्जा नहीं कर देता। (पैरा 4)

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : 1993 की दाण्डिक अपील सं० 213-14.

अपीलार्थियों की ओर से	श्री एस० एन० सिन्हा
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री बी० बी० सिंह और सुश्री रानी जेठमलानी की ओर से सुश्री पी० खता

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायामूर्ति श्री ललित मोहन शर्मा ने दिया।

मु० न्या० शर्मा–पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुना। विशेष इजाजत दी जाती है।

2. इस मामले में के विवाद का संबंध एक आवासिक गृह को लेकर है जो मुख्यत: अपीलार्थियों के कुटुम्ब का है और किराएदार के रूप में प्रत्यर्थी सं० 4 के कब्जे में था। अपीलार्थियों और उनके पिता ने बेदखली संबंधी एक वाद जिसकी कि डिक्री हो गई थी, फाइल किया जिसमें प्रत्यर्थी सं० 4 को एक पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया। डिक्री के निष्पादन में अपीलार्थियों को पुलिस बल की सहायता से उस गृह का वास्तविक कब्जा दे दिया गया था। प्रत्यर्थी सं० 4 का पक्षकथन है कि संपत्ति का विक्रय उसे करने संबंधी एक करार हुआ था और उसके भागत: अनुपालन में उस गृह का कब्जा उसके पास बना रहा अत: वह बेदखल किए जाने का दायी नहीं था। उसने मुंसिफ न्यायालय, हजारीबाग में उस अभिकथित करार के आधार पर 1991 का हक संबंधी वाद सं० 27 फाइल कर दिया जो कि अभी भी लंबित है। उसने उस गृह पर अपना कब्जा बनाए रखा और पुलिस बल की सहायता से उसे बेकब्जा किए जाने के पश्चात भी इसका निपटारा नहीं हो पाया था और आखिरकार 15-9-1991 को एक घटना घटी जो कि लंबित आपराधिक मामले की विषयवस्तु है। अपीलार्थियों के अनुसार प्रत्यर्थी सं० 4 ने उस गृह का कब्जा लेने के लिए गोली चलाई और पुलिस के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

3. इस प्रक्रम पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई थी और दोनों पक्षकारों पर उस संपत्ति में प्रवेश करने की रोक लगा दी गई थी। मामले की जांच करने के पश्चात् उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने 11-10-1990 को कार्यवाही का विनिश्चय अपीलार्थियों के पक्ष में किया। सिविल न्यायालय की डिक्री और अभिलिखित अन्य तथ्यों के अनुसरण में अपीलार्थियों को संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने के तथ्य का अवलंब लेते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं० 4 पर उस संपत्ति में प्रवेश करने की रोक लगा दी। इस संबंध में अपीलार्थियों ने अपनी विशेष इजाजत याचिका में कुछ और तथ्यों का भी अभिकथन किया है जो कि इस प्रक्रम पर सुसंगत प्रतीत नहीं होते और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध की गई दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। तारीख 22-1-1991 को अर्थात् उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश के तीन मास से अधिक अवधि के पश्चात् प्रत्यर्थी सं० 4 ने उसी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही संस्थित करने के लिए एक नया आवेदन फाइल कर दिया जिसे प्रत्यर्थी सं० 4 के विरुद्ध बेदखली-डिक्री की विद्यमानता का और उसके निष्पादन में अपीलार्थियों को संपत्ति के कब्जे के परिदान के तथ्य का उल्लेख करते हुए सकारण आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और वह आदेश अंतिम बन गया। उसके पश्चात् ही प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा मुंसिफ न्यायालय में हक संबंधी वाद फाइल किया गया था। तारीख 23-4-1991 को प्रत्यर्थी सं० 4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन सारत: उसी अनुतोष के लिए जिसका कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष दावा किया गया था, एक आवेदन किया, उसने अपने आवेदन में समस्त तथ्यों का वर्णन किया था, उच्च न्यायालय ने मुख्यत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन की कार्यवाही में जारी किए गए अंतिम निदेश के अनुसरण में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा पक्षकारों को उस संपत्ति में पाई गई जंगम वस्तुओं के परिदान के तथ्य का अवलंब लिया, और (उस आवेदन में) अपीलार्थियों को उस गृह से बेकब्जा करने की प्रार्थना की। अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए किन्तु उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा यह निदेश दिया कि उस गृह का कब्जा, हक संबंधी वाद का निपटारा होने तक मांडू पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास रहेगा। अपीलार्थी ने, उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन किया और उच्च न्यायालय से अपना निर्णय वापस लेने की प्रार्थना की। खण्ड न्यायपीठ ने आवेदन में सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया।

1993(2) eILR(PAT) SC 1

4. उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अनुसार, जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही संस्थित किए जाने पर दोनों पक्षकारों पर उस संपत्ति में प्रवेश करने की रोक लगा दी थी तब उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपीलार्थियों को बाद में उस संपत्ति का कब्जा लेने की अनुज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं था। आक्षेपित निर्णय की जांच करने से यह पता चलेगा कि उच्च न्यायालय उस निर्णायक तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा था कि अपीलार्थियों को उस संपत्ति का कब्जा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही की समाप्ति पर नहीं दिया गया था बल्कि उन्होंने उस संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से बेदखली डिक्री के निष्पादन में पहले ही अभिप्राप्त कर लिया था और उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यवाही का निपटारा करते समय और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाही को नए सिरे से आरंभ करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 4 के आवेदन को खारिज करते समय यथापूर्व स्थिति को बहाल रखा था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर अपीलार्थियों को, जिन्हें कि उस संपत्ति पर अस्थायी अवधि के लिए प्रवेश करने से रोक दिया गया था, उस संपत्ति का कब्जा बहाल करके ठीक ही कदम उठाया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन किया गया आवेदन न्यायालय की कार्यवाही का घोर दुरुपयोग था जिसका कि उच्च न्यायालय मूल्यांकन करने में असफल रहा था। हम तदनुसार अपील मंजूर करते हैं, आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए प्रत्यर्थी सं० 4 के आवेदन को खारिज करते हैं। इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर अपीलार्थियों के पास उस गृह का कब्जा बना हुआ है और यह कब्जा उनके पास तब तक बना रहेगा जब तक प्रत्यर्थी सं० 4 लंबित वाद में अपने पक्ष में डिक्री अभिप्राप्त नहीं कर लेता और विधि के अनुसार अपीलार्थियों को बेकब्जा नहीं कर देता।

अपील भागत: मंजूर की गई।

ज०